फाइल सं.यू.12019/32/2014-आईईसी

भारत सरकार
आयुष विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

दिनांक: 14.07.2014

<u>निविदा दस्तावेज</u>

विषय: गणतंत्र दिवस परेड 2015 के दौरान आयुष विभाग की झांकी का प्रदर्शन।

1. आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार दो निविदा पद्धति के अंतर्गत टर्नकी आधार पर "समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष" विषय पर गणतंत्र दिवस परेड, 2015 के दौरान आयुष विभाग की झांकी को संकल्पित, डिज़ाइन, निर्माण और प्रदर्शित करने के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी अभिकरणों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

2. विस्तृत निबंधन एवं शर्तें, निविदा जमा करने की प्रक्रिया और अन्य अनुदेश संलग्नक-I में दिए गए हैं।

3. झांकी के लिए तकनीकी प्रस्ताव तैयार करने के दिशा-निर्देश संलग्नक-II में दिए गए हैं।

4. झांकी के विषय संबंधी ब्यौरे संलग्नक-III में दिए गए हैं।

5. तकनीकी निविदा का प्रपत्र संलग्नक-IV और वित्तीय निविदा का प्रपत्र संलग्नक-V में दिया गया है।

6. संकल्पना, डिज़ाइन/निर्माण के कम से कम दो ऐसे कार्य, जिसमें से एक कार्य पिछले 5 वर्षों में केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन अथवा राज्य सरकार/संगठन की राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में झांकी के प्रदर्शन का होना चाहिए (ऐसे कार्य करने का प्रमाण देते हुए दस्तावेज जैसे कि संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार/संगठन द्वारा जारी किया गया कार्य आदेश को प्रस्तुत किया जाए), का अनुभव रखने वाले इच्छुक अभिकरणों से अनुरोध है कि वे अपनी तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा की प्रस्तुति अलग-अलग सीलबंद लिफाफों और उन दोनों लिफाफों को एक अलग सीलबंद लिफाफे जिसके ऊपर "गणतंत्र दिवस परेड 2015 के लिए आयुष की झांकी की संकल्पना, डिज़ाइन और निर्माण के लिए निविदा" लिखा हो, श्री रामानंद मीणा, उप सचिव, आयुष विभाग, आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक, जीपीओ काम्प्लेक्स, आईएनए मार्किट के

पीछे, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को संबोधित करते हुए नियत तिथि पर अथवा 23.7.2014 को अपराह्न 2.00 बजे से पूर्व जमा करा दें।

7. निविदाओं को खोले जाने का विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण		दिन एवं समय
1	निविदा-पूर्व बैठक		17 जुलाई, 2014 (3.00 बजे)
2	निविदाएं जमा करने की अंतिम तारीख		23 जुलाई, 2014 (2.00 बजे)
3	तकनीकी निविदा खोलने की तारीख		23 जुलाई, 2014 (2.30 बजे)
4	पात्र निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुतीकरण		24 जुलाई, 2014 प्रात: 10.00 बजे से
5	वित्तीय निविदाओं को खोलने की तारीख		अलग से सूचित किया जाएगा।

उपरोक्त बैठकों के लिए स्थल सम्मेलन कक्ष, द्वितीय तल, आयुष भवन, 'बी' ब्लॉक, जीपीओ काम्प्लेक्स, आईएनए मार्किट के पीछे, आईएनए, नई दिल्ली-110023 होगा।

8. अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

(रामानन्द मीणा)
उप सचिव
आयुष विभाग
दूरभाष सं. 011-24651965
ई-मेल- ramanand.meena@nic.in

संलग्नक-I

विस्तृत शर्तें एवं निबंधन, निविदा जमा करने की प्रक्रिया और अन्य अनुदेश:

1. कार्य क्षेत्र:

1. गणतंत्र दिवस परेड, 2015 में, जन स्वास्थ्य परिचर्या सेवा मुहैया कराने में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन, इन प्राचीन चिकित्सा द्धतियों की शक्तियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और आयुष शिक्षा पद्धतियों के अध्ययन और आयुष को व्यवसाय (कार्यक्रम पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि संलग्नक-III पर दी गई है) बनाने के लिए छात्रों के बीच प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए आयुष विभाग का "समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष" विषय पर झांकी प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। अन्य बातों के साथ-साथ कार्य क्षेत्र में झांकी को संकल्पित, डिज़ाइन करना; विस्तृत में 2डी स्कैच और इसी का 3डी वायर फ्रेम अथवा अन्य उपयुक्त साफ्टवेयर में प्रस्तुतीकरण और; 3डी स्केल माडल और गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी के रूप में इसका निर्माण और परेड के दौरान इसका प्रदर्शन। प्रत्येक गतिविधि रक्षा मंत्रालय की निकासी/अनुमोदन के अध्यधीन होगी।

1.2 कार्य को टर्नकी आधार पर किया जाना है और इसमें झांकी निर्माण के सभी पहलुओं अर्थात संकल्पना, डिज़ाइन बनाना, आवश्यकताओं और अनुदेशों के अनुसार समय-समय पर डिज़ाइन में परिवर्तन, आयुष और रक्षा मंत्रालय की चयन समिति के समक्ष डिज़ाइन प्रस्तुत करना, माडलों का निर्माण, आवश्यकताओं और अनुदेशों के अनुसार इनमें परिवर्तन, आयुष और रक्षा मंत्रालय की समिति के समक्ष माडल का प्रस्तुतीकरण और मॉडल के चयन होने पर आयुष विभाग और रक्षा मंत्रालय की अपेक्षाओं, विनिर्देशों, समय सारणी और अनुदेशों के अनुसार वास्तविक झांकी का निर्माण और परेड में उसका प्रदर्शन, उचित/उपयुक्त गीत देना, संगीत बनाना, कलाकारों का प्रबंध करना और झांकी में प्रयोग के लिए संगीत की पूर्व रिकार्डिंग करना, कलाकारों, लोक नृत्य मंडली आदि के प्रबंध सहित अपेक्षानुसार कोरियोग्राफी का प्रबंध करना। कार्य में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झांकी को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना और प्रदर्शित करना, पूरी ड्रेस रिहर्सल (यदि अपेक्षित हो) और समारोह के दौरान प्रदर्शन के समय अपेक्षित सेवाएं प्रदान करना शामिल होगा। टर्नकी परियोजना में कोई अन्य कार्य जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से झांकी के निर्माण और प्रदर्शन से संबंधित हो और योजना को किसी रूप से सुविधा प्रदान करे, भी शामिल होगा। वीपी/डीएसटी के पास परियोजना के किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए कार्य को पूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग को संशोधित करने, बदलने अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा। कार्य का सर्वाधिकार मंत्रालय के पास निहित होगा और जीते गए पुरस्कार, यदि कोई हो, पर उसका अधिकार होगा।

1.3 झांकी के विनिर्देश, 2डी स्कैच और 3डी स्केल मॉडल आदि रक्षा मंत्रालय (विवरण संलग्नक-II पर संलग्न हैं) के विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

1.4 हांलांकि झांकी की उचित और उत्कृष्ट सौंदर्यात्मक, रचनात्मक और तकनीकी सुपुर्दगी सुनिश्चित करना उस सफल निविदादाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी जिसे निविदा सौंपी गई है, आयुष विभाग आवश्यकताओं के अनुरूप और जैसा सही माना जाए समय-समय पर समीक्षा, निगरानी और सलाह देगा और यदि आवश्यक हो तो आवश्यकतानुसार अपेक्षित परिवर्तन भी करेगा।

2. निविदा जमा करने की प्रक्रिया:

2.1 तकनीकी बोली और वित्तीय बोली अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में होनी चाहिए जिन पर मोटे अक्षरों में 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' लिखा होना चाहिए। यह नोट किया जाए कि **तकनीकी बोली में मूल्य नहीं दर्शाए जाएं और केवल वित्तीय बोली में ही दर्शाए जाएं।**

2.2 तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के लिफाफे एक अलग लिफाफे में होने चाहिए। इस निविदा लिफाफे पर निविदा की नियत तिथि और **"23 जुलाई, 2014 को 2.30 बजे से पहले न खोलें"** लिखा होना चाहिए। इस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए **'गणतंत्र दिवस परेड, 2015 के लिए "समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष" विषय पर आयुष की झांकी की संकल्पना, डिज़ाइन और निर्माण के लिए निविदा'।**

2.3 लिफाफे पर निविदादाता का नाम, पता और दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए ताकि **"विलंब"** से प्राप्त होने की स्थिति में निविदा बिना खोले लौटा दी जाए।

2.4 तकनीकी बोली और वित्तीय बोली की प्रत्येक प्रति एक पूर्ण दस्तावेज होना चाहिए और एक खण्ड के रूप में अलग से बंधा होना चाहिए।

2.5 तकनीकी बोली के साथ, झांकी के डिज़ाइन के नमूने भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3. निविदा मूल्य:

3.1 निविदादाता **संलग्नक-V** में निर्धारित प्रपत्र में 3डी माडल, 3डी प्रस्तुतीकरण, निर्माण और संविदा के तहत प्रस्तावित अन्य सेवाओं के लिए विस्तृत और कुल वित्तीय निविदा मूल्य भारतीय रुपए में अलग से दर्शाएगा। उद्धृत मूल्य निर्धारित और नियत होने चाहिए और आयुष विभाग और/अथवा रक्षा मंत्रालय की पदनामित समिति के सुझावों पर किए जाने वाले अपेक्षित परिवर्तनों सहित किसी भी रूप में किए गए संशोधन जैसा भी हो, बदलने नहीं चाहिए। उपरोक्त सूचना के अभाव में, निविदा को अपूर्ण समझा जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा।

3.2 निविदादाता निविदा दस्तावेजों में दिए गए ब्यौरे के आधार पर निविदा तैयार करेगा। निविदादाता निविदा दस्तावेजों की अपेक्षानुसार सभी कार्य करेगा और निविदा दस्तावेजों की सभी अपेक्षाएं पूरी करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

3.3 वित्तीय बोली में बिना किसी अर्हता के प्रभावित मूल्य जो कोई हो, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए और किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों के संबंध में लागू सभी कर, ड्यूटी, फीस, उगाही, कार्य निविदा कर और अन्य प्रभार शामिल होने चाहिए।

4. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (निविदादाता):

4.1 निविदा में प्रयुक्त "निविदादाता" का अर्थ कंपनी/फर्म/मालिक होगा जिसने प्रस्तावित संविदा के तहत अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष विभाग को प्रस्ताव भेजा होगा और जिसने निविदा दस्तावेज प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए होंगे।

4.2 निविदा टंकित होनी चाहिए और संविदा से निविदादाता को बांधने के लिए निविदा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। अनुज्ञप्ति पत्र निविदा के साथ संलग्न लिखित मुख्तारनामा द्वारा दर्शाया जाना चाहिए। निविदा पर हस्ताक्षर करने वाला/वाले व्यक्ति सभी पृष्ठों पर सील/मोहर के साथ आद्याक्षरित करेंगे।

4.3 निविदादाता उस कंपनी के सही नाम से निविदा को हस्ताक्षरित और सील करेगा जिसे संविदा जारी की जानी है।

4.4 निविदा में कोई काट-छांट अथवा ऊपरी लिखावट नहीं होगी सिवाय तब जब निविदादाता द्वारा की गई गलती को सुधारना आवश्यक हो, ऐसे मामले में किए गए ऐसे सुधार पर निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा आद्याक्षर होंगे।

5. निबंधन एवं शर्तें:

5.1 निविदादाता को सरकारी संगठनों में इस कार्य से संबंधित कार्य करने का पूर्व अनुभव होना चाहिए (अनिवार्य शर्तों के ब्यौरे के लिए पैरा 10.01 देखें)।

5.2 निविदादाताओं को भुगतान एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में आहरित और नई दिल्ली में देय अदाता के खाते में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 50,000/- (पचास हजार रुपये) रु. की बयाना राशि जमा (ईएमडी) करवानी होगी। ईएमडी को तकनीकी निविदा के साथ जमा करवाना है। ईएमडी के बिना प्राप्त निविदाएं अस्वीकृत कर दी

जाएंगी। असफल निविदादाताओं की ईएमडी निविदा समाप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर लौटा दी जाएगी।

5.3 निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह निविदा करने से पूर्व अपनी क्षमता और योग्यता सुनिश्चित कर लें क्योंकि यह कार्य आयुष विभाग के निदेशों के तहत अल्पावधि में और समयबद्ध आधार पर पूरा किया जाना है। केवल वही निविदादाता, जो इच्छुक हैं और निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करने की स्थिति में हैं, निविदा को भरें।

5.4 आयुष विभाग कोई कारण बताए बिना किसी निविदा को अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है। यदि सफल निविदादाता इस निविदा के अंतर्गत अपने दायित्व पूरे करने में असफल होता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा और आयुष विभाग भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को यह काली सूची परिचालित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5.5 झांकी का कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा अर्थात्: (i) रक्षा मंत्रालय द्वारा संकल्पना को स्वीकृति; (ii) रक्षा मंत्रालय द्वारा 3डी माडल को स्वीकृति; (iii) वास्तविक रूप से भाग लेना।

5.6 प्रत्येक चरण में नियत तिथि महत्वपूर्ण है। अंतिम तिथि तक कार्य निष्पादन में असफल होना गैर-निष्पादन माना जाएगा और आयुष विभाग कार्य आदेश को निरस्त करके अथवा निरस्त किए बिना ऐसा जुर्माना लगा सकता है जैसा वह उचित समझेगा।

6. पत्राचार के लिए पता:

निविदादाता अपना आधिकारिक पत्राचार का पता, स्थान, ई-मेल और दूरभाष संख्या सूचित करेगा जहां आयुष विभाग द्वारा सभी पत्राचार भेजा जाएगा।

7. विभाग से संपर्क:

7.1 कोई भी निविदादाता निविदा खुलने के समय से संविदा सौंपे जाने के समय तक आयुष विभाग को अपनी निविदा से संबंधित किसी मामले के लिए संपर्क नहीं करेगा।

7.2 निविदादाता द्वारा विभाग के निविदा मूल्यांकन, निविदा तुलना अथवा संविदा सौंपे जाने के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किए गए किसी प्रयास का परिणाम निविदादाता की निविदा का निरस्त होना होगा।

8. आयुष विभाग द्वारा निविदाओं का मूल्यांकन:

8.1 आयुष विभाग की पदनामित समिति निविदा सूचना के पैरा 2 में उल्लिखित समय व तिथि पर निविदादाता के प्रतिनिधि जो उपस्थित होना चाहते हैं, की उपस्थिति में निविदा खोलेगी।

8.2 निविदादाताओं के नाम, निविदा वापिस लेने और अपेक्षित बयाना राशि जमा होने अथवा न होने और अन्य ऐसे ब्यौरे जिन्हें आयुष विभाग अपने विवेकानुसार उचित समझता हो, की निविदा खुलने पर घोषणा करेगा।

9. स्पष्टीकरण:

9.1 आयुष विभाग जब आवश्यक समझेगा, निविदादाता से किसी भी पहलु पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। तथापि, ऐसा करने से निविदादाता जमा की गई निविदा में अथवा उद्धृत मूल्य में किसी प्रकार के परिवर्तन का पात्र नहीं होगा।

10. निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया और कार्यविधि:

10.1 चरण I - पात्र निविदादाताओं का चयन:

निविदा सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी निविदाओं की आवश्यक पात्रता शर्तें, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है की पूर्ति की जांच आयुष विभाग की पदनामित समिति द्वारा बारीकी से की जाएगी। (पदनामित समिति का निर्णय आयुष विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होगा)।

1. निविदा दस्तावेज में निर्धारित प्रपत्र में तकनीकी निविदा के साथ 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए केवल) की ईएमडी प्रस्तुत करना।

2. पिछले 5 वर्षों (2009-10 से 2013-14) की अवधि में **50.00 लाख रुपये (पचास लाख रुपए) का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार** (लेखा परीक्षित लेखों और/अथवा सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र पर आधारित) यदि वर्ष 2012-13 के लेखों का लेखा परीक्षण पूर्ण नहीं है और इस संबंध में सनदी लेखाकार से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तो 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लेखों पर विचार किया जाएगा (झूठे प्रमाण पत्र/सूचना प्रस्तुत करने से किसी भी चरण में अयोग्य घोषित किया जाएगा)।

3. पिछले 5 वर्षों में केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन अथवा राज्य सरकार/संगठन की **राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में झांकी के प्रदर्शन संबंधी संकल्पना/डिज़ाइन/निर्माण के ऐसे दो**

कार्यों का अनुभव। (ऐसे कार्य करने का प्रमाण देते हुए दस्तावेज जैसे कि संबंधित मंत्रालय/राज्य सरकार/संगठन द्वारा जारी किया गया कार्य आदेश को प्रस्तुत किया जाए)

केवल वही निविदादाता जो उपरोक्त निर्धारित अनिवार्य योग्यता संबंधी शर्तों को पूरा करते हैं, पर आयुष विभाग की पदनामित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने के लिए विचार किया जाएगा और उनका विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।

10.2 चरण-2- तकनीकी मूल्यांकन:- पदनामित समिति की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित सभी पात्र निविदादाता अपनी निविदा में प्रस्तुत सूचना/ब्यौरे/संकल्पना/डिज़ाइन आदि और साथ ही पदनामित समिति के समक्ष की गई प्रस्तुति के आधार पर विस्तृत तकनीकी जांच के अध्यधीन होंगे और निम्नानुसार विभिन्न मानदण्डों के अंक दिए जाएंगे:

क्र.सं.	मद	मानदण्ड/ अपेक्षित दस्तावेज	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	**<u>पूर्व अनुभव</u>** केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संगठन की ओर से पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड (आरडीपी) में झांकी की संकल्पना/डिज़ाइन/निर्माण कार्य पूरा करना।	नीचे टिप्पणी I देखें	30	15	
	(क) यदि ऐसी झांकी ने कोई पुरस्कार जीता (अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा झांकी का चयन किया गया, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई और कोई पुरस्कार जीता)		---	---	
	(i) पिछले 5 वर्षों में केवल एक बार पुरस्कार जीतने के मामले में		20	---	
	(ii) ऐसे 2 मामलों में		25	---	
	(iii) 2 से अधिक मामलों में		30		
	(ख) यदि ऐसी झांकी ने कोई पुरस्कार नहीं जीता अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा	नीचे नोट I और III		---	

	झांकी का चयन किया गया और आरडीपी में भाग लिया, यद्यपि कोई पुरस्कार नहीं जीता	देखें			
	(i) ऐसे केवल 1 मामले में		15	---	
	(ii) ऐसे 2 मामलों में		18		
	(iii) 2 से अधिक मामलों में		20		
2.	केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग अथवा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संगठन की ओर से पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड में झांकी की संकल्पना/डिज़ाइन/निर्माण कार्य पूरा करना।		10		
	(क) यदि ऐसी झांकी ने कोई पुरस्कार जीता (अर्थात् संबंधित प्राधिकरण द्वारा झांकी का चयन किया गया, समारोह में भाग लिया और कोई पुरस्कार जीता)		---	---	
	(i) पिछले 5 वर्षों में केवल एक बार पुरस्कार जीतने के मामले में		5	---	
	(ii) ऐसे 2 मामलों में		8	---	
	(iii) 2 से अधिक मामलों में		10	---	
	(ख) यदि ऐसी झांकी ने कोई पुरस्कार नहीं जीता अर्थात रक्षा मंत्रालय द्वारा झांकी का चयन किया गया और आरडीपी में भाग लिया यद्यपि कोई पुरस्कार नहीं जीता				
	(i) ऐसे केवल 1 मामले में		2	---	
	(ii) ऐसे 2 मामलों में		3	---	
	(iii) 2 से अधिक मामलों में		5	---	
3.	समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष स्कीम जो प्रस्तावित झांकी का विषय है, की पूरी समझ, उसके ब्यौरे, कार्यान्वयन स्थिति और ऐसे अन्य संबंधित पहलु।	नीचे नोट II देखें	10	7	
4.	निविदा में प्रस्तावित संकल्प/डिज़ाइन/ 3डी माडल का युक्तिपरक और		20	15	

	अभिनवपरक होना जो विधिवत रूप से रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप हों।				
5.	पदनामित समिति के समक्ष गुणवत्तायुक्त प्रस्तुतीकरण/समिति द्वारा मूल्यांकन		25	15	
6.	पदनामित समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कोई अन्य मानदण्ड - प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ में घोषित किया जाएगा।	नीचे नोट IV देखें	5	---	
			100	70*	

नोट I - निविदादाताओं द्वारा निष्पादित केवल वही कार्य जिनके साक्ष्य उनके नाम के कार्य आदेश और भागीदारी एवं पुरस्कार जीतने आदि के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/संगठन के प्रमाणन हैं, स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में दस्तावेजों को दिखाना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा की गई साधारण घोषणा पर्याप्त नहीं होगी।

नोट II - तकनीकी निविदा सहित इस संबंध में निविदादाता द्वारा संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करना होगा और प्रस्तुतीकरण के दौरान इसे विचार-विमर्श/प्रश्नों द्वारा पूरा किया जाएगा। वास्तव में, निविदादाता द्वारा प्रस्तुत पूरा प्रस्ताव यह भी दर्शाएगा कि उसमें इस स्कीम को कितने बेहतर ढंग से समझा है।

नोट III - (क) के अंतर्गत मामले अर्थात पुरस्कार जीतने वाली प्रविष्टि पर भागीदारी के अंकों के लिए पुनर्विचार नहीं किया जाएगा अर्थात एक प्रविष्टि पुरस्कार जीतने अथवा भाग लेने के रूप में केवल अंकों के लिए पात्र होगी।

नोट IV - यदि ऐसा कोई मानदण्ड घोषित नहीं किया जाता है तो सभी निविदादाताओं को इस मद के अंतर्गत 5 अंक दिए जाएंगे।

* व्यक्तिगत योग्य अंकों का कुल जोड़ नहीं है।

उपरोक्त सारणी के कॉलम 5 में सूचीबद्ध विभिन्न मापदण्डों के अंतर्गत न्यूनतम अपेक्षित अंकों के अनुसार केवल वहीं निविदादाता जो उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न मापदण्डों में 100 में से न्यूनतम 70 अंक अर्जित करेगा, उनकी वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जाएगा। यदि कोई निविदादाता 70% अंक प्राप्त नहीं करता है तो 100 में से न्यूनतम 50 अंक पाने वाले

पहले तीन निविदादाताओं का चयन किया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने उपर उल्लिखित विभिन्न मानदंडों के अंतर्गत न्यूनतम अर्हताओं अंकों में से कम से कम 75% अंक प्राप्त किए हैं। यदि कोई निविदादाता 100 में से 50 अंक अथवा ऊपर उल्लिखित विभिन्न मानदण्डों के अंतर्गत 75% प्राप्त नहीं करता तो निविदा के संबंध में अगली प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी।

10.3 चरण 3 - वित्तीय बोलियां : जो बोलीदाता उपर्युक्त तकनीकी मूल्यांकन के द्वितीय चरण हेतु अर्हक होंगे, वित्तीय बोलियां खोलने हेतु केवल उन्हीं पर विचार किया जाएगा। वित्तीय बोलियों के लिए आबंटित कुल अंक 35 हैं, जो निम्नलिखित ढंग से दिए जाएंगे :

जिस बोलीदाता ने सभी मदों के लिए एक साथ न्यूनतम दर (राशि) अर्थात् संलग्नक-V निविदा की वित्तीय बोली की क्रम संख्याओं की कुल राशि उद्धृत की है, उसे पूरे 35 अंक दिए जाएंगे। अन्य बोलीदाताओं को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार अंक दिए जाएंगे (अंक केवल दो दशमलव तक ही गिने जाएंगे)।

$$\frac{\text{न्यूनतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई कुल राशि}}{\text{किसी विशेष बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई कुल राशि}} \times 100$$

उदाहरण : यदि उपर्युक्त तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में 5 वित्तीय बोलियां अर्हक होती हैं और उन्होंने सभी मदों को मिलाकर नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में दरें/राशि उद्धृत की हैं, तो उन्हें नीचे दी गई तालिका के कॉलम 3 में दिए गए ढंग से अंक दिए जाएंगे (अंक 2 दशमलव तक) :

बोलीदाताओं की संख्या	उद्धृत की गई कुल राशि (रु.) (वित्तीय बोली की क्रम सं. 5 के अधीन)	दिए जाने वाले अंक
1	80 (न्यूनतम दर)	80/80 X 35 = 35.00
2	200	80/200 X 35 = 14.00
3	150	80/150 X 35 = 18.67
4	180	80/180 X 35 = 15.56
5	160	80/160 X 35 = 17.50

10.4 समग्र मूल्यांकन - न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण : जो बोलीदाता 135 अंकों (अर्थात तकनीकी बोली के अंक (100) और वित्तीय बोली के अंक (35) का योग) में से सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम बोलीदाता घोषित किया जाएगा और उसे पदनामित समिति/आयुष विभाग/रक्षा

मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा बाकायदा रक्षा मंत्रालय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुझाए गए संशोधनों सहित प्रथम चरण अर्थात् संकल्पना/रूपरेखा/डिजाइन इत्यादि की तैयारी के लिए चुना जाएगा। यदि रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के समक्ष आयुष विभाग द्वारा प्रस्तुत डिजाइन स्वीकार हो जाता है तो बोलीदाता को द्वितीय चरण अर्थात् मॉडल की तैयारी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा जाएगा और यदि वह भी रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा संशोधनों सहित/रहित स्वीकृत/अनुमोदित हो जाता है, तो बोलीदाता को तीसरे चरण अर्थात् अनुमोदित डिजाइन/मॉडल के अनुसार झांकी के निर्माण, चाहे वह स्वयं करे अथवा अपनी ओर से किसी अन्य एजेंसी/ठेकेदार को काम में लगाकर करे, तथा गणतंत्र दिवस परेड, 2015 में झांकी की वास्तविक रूप से भागीदारी हेतु सभी संबंधित कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।

10.5 जब तक अन्यथा न कहा जाए, यह वित्तीय बोली दस्तावेज़ सम्पूर्ण कार्य के लिए है, जैसा कि निविदा में उल्लिखित है। बोलीदाता को बाद में किसी भी प्रकार की कोई लागत शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। वित्तीय बोली में दी गई कुल लागत/बोली की राशि निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित सम्पूर्ण कार्य के लिए मानी जाएगी बशर्ते आयुष विभाग रक्षा मंत्रालय की नामित समिति के सुझावों के अनुसार कुछ संशोधन करने अपेक्षित न हों। बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में उद्धृत की गई लागतें/दरें/राशियां श्रम, सामग्री, उपभोज्य वस्तुएं, पुर्जे, उपस्कर, प्रापण, भाड़ा और संस्थापना, परिवहन प्रभार, सीमा-शुल्क, चुंगी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, व्यापार कर, सेवा कर, कोइ अन्य शुल्क, कर अथवा प्रभार जो कोई भी हो, संघटकों अथवा पूर्ण किए गए कार्यों तथा निविदा/करार के तहत बोलीदाता के दायित्वों के संतोषजनक निष्पादन पर देय लागत में शामिल होगी। अत: उद्धृत दरों के अतिरिक्त यदि सेवा कर जैसे कुछ कर लगते हों, तो उसका उल्लेख ऐसे करों की प्रचलित दरों के साथ विशेष रूप से किया जाए, ताकि विभिन्न बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों की तुलना समान रूप से की जा सके। इस प्रकार के दरों सहित विशेष विवरण की अनुपस्थिति में यह मान लिया जाएगा कि उद्धृत दरों/राशि में सेवा कर सहित सभी प्रकार के कर/शुल्क/उगाही शामिल हैं।

टिप्पणी:- किसी बोलीदाता का 'सफल बोलीदाता' के रूप में वर्गीकरण उसे स्वत: यह अधिकार नहीं दिलाता कि उसे काम दे दिया गया है, क्योंकि यह आयुष विभाग के सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आगे और कार्रवाई करने के अध्यधीन होगा। आयुष विभाग के पास, वैध कारणों से, यह अधिकार रहेगा कि वह न्यूनतम बोलीदाता को कार्य आबंटित न करे और यहां तक कि न्यूनतम बोली देने वाले का निर्धारण पूरा होने के पश्चात् भी किसी भी समय निविदा की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दे।

11. किसी बोली को स्वीकार करने और किसी या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार

11.1 आयुष विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने तथा ठेका देने से पूर्व किसी भी समय किसी एक या सभी बोलियों को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। की गई कार्रवाई के आधार पर आयुष विभाग को प्रभावित बोलीदाता को कोई देनदारी संबंधी कोई दायित्वता नहीं होगा और न ही प्रभावित बोलीदाता को सूचित करने की बाध्यता होगी।

12. काम देने की अधिसूचना

12.1 आयुष विभाग सफल बोलीदाता को ई-मेल या पंजीकृत पत्र के द्वारा लिखित रूप में यह अधिसूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है।

12.2 सफल बोलीदाता की अधिसूचना होने पर, आयुष विभाग तत्काल ही प्रत्येक असफल बोलीदाता को अधिसूचित करेगा और उनकी जमा बयाना राशि लौटा दी जाएगी।

13. संविदा पर हस्ताक्षर

13.1 सफल बोलीदाता की अधिसूचना होने पर, आयुष विभाग बोलीदाता को संविदा फॉर्म भेजेगा, जिसमें पक्षकारों के बीच हुए सभी करार शामिल होंगे।

13.2 संविदा फॉर्म की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर सफल बोलीदाता संविदा पर हस्ताक्षर करके तारीख डालेगा और उसे आयुष विभाग को लौटा देगा।

14. निष्पादन प्रतिभू

14.1 सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि निष्पादन प्रतिभू में बदल जाएगी।

15. अस्वीकृति मानदण्ड

15.1 निविदा दस्तावेज़ में दी गई अन्य शर्तों और निबंधनों के अतिरिक्त बोलियां निम्नलिखित परिस्थितियों में भी अस्वीकार की जा सकती हैं:

क. तकनीकी बोली:

- निविदा दस्तावेज, अनुशेष (यदि कोई हो) और बोलीदाता को दी गई किसी परिवर्ती सूचना के अनुसार सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र के लिए उद्धृत न की गई अधूरी बोलियां।

- ऐसी बोलियां, जिनमें दी गई सूचना वाणिज्यिक विवरण वाली तकनीकी बोली प्रक्रिया के निविदाकरण के दौरान किसी भी स्थिति में/समय पर गलत या भ्रामक पाई जाए।
- ऐसी बोलियां, जो वित्तीय बोलियां खुलने से पूर्व मूल्यों को किसी भी रूप में और किसी भी कारण से प्रदर्शित कर दें।

ख. वित्तीय बोली:

- ऐसी बोलियां, जिनमें बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई एकमुश्त राशि में सभी कर, शुल्क, फीस, उदग्रहण, निर्माण संविदा कर और अन्य खर्चे शामिल न हों।
- ऐसी बोलियां, जिनमें संविदा की पूरी अवधि के दौरान और/अथवा किन्हीं शर्तों के साथ मूल्य निश्चित न हों।
- ऐसी बोलियां, जो आयुष विभाग के मूल्य बोली प्रपत्र के अनुरूप न हों।

ग. अन्य:

- ऐसी बोलियां, जो इस निविदा के 'कार्यक्षेत्र' को निष्पादित करने की पूरी जिम्मेदारी बिना शर्त स्वीकार करने की पुष्टि न करती हों।
- ऐसी बोलियां, जो आयुष विभाग के बोली मूल्यांकन, बोली तुलना अथवा संविदा देने के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करें।
- ऐसी बोलियां, जिनमें मुख्तारनामा की शक्ति और अन्य कोई ऐसा दस्तावेज़ न लगाया हो, जिनमें हस्ताक्षरकर्ता की बोली लगाने वाले को बाध्य करने की योग्यता का प्रमाण पर्याप्त हो।

16. उच्च स्तर की रचनात्मक, अभिनव एवं जीतने योग्य प्रविष्टि तैयार करने और प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहन

वित्तीय बोली में यथादत्त कार्य के तीन चरणों के लिए सहमत दर और न्यूनतम बोली दाता के साथ हस्ताक्षरित करार के अतिरिक्त बोलीदाता को उच्च स्तर की ऐसी रचनात्मक एवं अभिनव संकल्पनाओं, डिजाइन एवं मॉडल बनाने हेतु प्रोत्साहत किया जाएगा, जो आयुष विभाग के विशेषज्ञ दल की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अंतत: उच्च गुणवत्ता वाली झांकी के रूप में पुरस्कार जीते। ऐसे बोलीदाताओं को प्रशंसास्वरूप निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे :

(i) प्रथम और द्वितीय चरण की मदों के लिए 10,000/-रु. (मात्र दस हजार रुपये) की एकमुश्त राशि, यदि

(क) रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ दल के समक्ष अंतिम रूप से तैयार और प्रस्तुत की गई संकल्पना/रूपरेखा/डिजाइन को रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ दल द्वारा मॉडल बनाने के दूसरे चरण में प्रवेश हेतु स्वीकार/अनुमोदित कर दिया गया हो।

और

(ख) बोलीदाता द्वारा अंतिम रूप से तैयार और प्रस्तुत की गई संकल्पनाएं/रूपरेखा/डिजाइन यदि रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ दल द्वारा झांकी के विनिर्माण और उसे गणतंत्र दिवस परेड, 2015 में भाग लेने के लिए स्वीकृति/अनुमोदन दे दिया गया हो।

(ii) यदि झांकी गणतंत्र दिवस परेड, 2015 में इस प्रकार भाग लेते हुए संगत श्रेणी में कोई पुरस्कार जीत जाती है, तो उसे तृतीय चरण मद के लिए सहमत राशि का एकमुश्त 25,000/-रु. (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का पुरस्कार दिया जाएगा।

17. भुगतान कार्यक्रम और निबंधन एवं शर्तें

17.1 यदि रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ दल के समक्ष पेश बोलीदाता द्वारा तैयार और प्रस्तुत की गई संकल्पना/रूपरेखा/ डिजाइन इत्यादि स्वीकृत नहीं होती है और द्वितीय चरण में प्रविष्टि नहीं पाती है, जहां पर 3D मॉडल तैयार और प्रस्तुत करने होते हैं, तो बोलीदाता के साथ तय हुई वित्तीय बोली के अनुसार, बोलीदाता को कुल सहमत राशि का केवल दो प्रतिशत दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000/-रु. होगी।

17.2 इसी प्रकार मॉडल बनाने के द्वितीय चरण में प्रवेश करने के पश्चात् यदि रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ दल के समक्ष बोलीदाता द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तुत मॉडल उसके द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित नहीं किया जाता है और झांकी विनिर्माण की आवश्यकता नहीं रहती है, तो बोलीदाता को कुल सहमत राशि (सभी मदों) का केवल 5% भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000/-रु. होगी (इसमें ऊपर पैरा 17(1) में उल्लिखित 25,000/- रु. शामिल हैं)।

17.3 तथापि, यदि इस प्रकार तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया मॉडल यदि रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ दल द्वारा अंतत: विनिर्माण और गणतंत्र दिवस परेड, 2015 में संशोधनों सहित या रहित शामिल करने के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है, तो इस मद के लिए सहमत राशि पहले दोनों चरणों (पहली दो मदों के लिए यथोक्त प्रोत्साहन) के लिए सहमत राशियों के अतिरिक्त होंगी। इस मामले में पैरा 17.1 और पैरा 17.2 के अंतर्गत उल्लिखित अदायगी नहीं की जाएगी।

17.4 भुगतान का कार्यक्रम निम्नलिखित होगा :

यदि मॉडल को विनिर्मित करने और गणतंत्र दिवस परेड, 2015 में शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा चयनित और अनुमोदित कर दिया जाता है, तो भुगतान निम्नानुसार निर्मुक्त किया जाएगा :

(क) 50% प्रारंभ अग्रिम के रूप में

(ख) 30% विनिर्माण और आयुष विभाग द्वारा निरीक्षण एवं स्वीकृति पर

(ग) 20% परियोजना पूरी होने पर

इसके अतिरिक्त, भुगतान बोलीदाता द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा। यह गारंटी कार्य सौंपने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और कुल राशि के 50% के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से दी जा सकेगी। बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर ही कोई अग्रिम, यदि कोई हो, दिया जाएगा।

संलग्नक-II

गणतंत्र दिवस परेड 2015 के लिए झांकी प्रस्तावों की तैयारी हेतु दिशा-निर्देश

1. निर्दिष्ट/कार्य

विषय **"समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष" -** आयुष विभाग की स्कीम

2. रक्षा मंत्रालय द्वारा झांकी के चयन की प्रक्रिया

विभिन्न संगठनों/एजेंसियों से प्राप्त झांकी प्रस्तावों का मूल्यांकन **कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला व कोरियोग्राफी** इत्यादि के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलाकर बनी एक विशेषज्ञ समिति की क्रमानुसार बैठकों में किया जाएगा। **चयन के प्रथम चरण में स्कैच/डिज़ाइन प्रस्तावों की गहन जांच की जाएगी** और यदि आवश्यक समझा जाएगा तो स्कैच/डिज़ाइन में संशोधन करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। एक बार **स्कैच/डिज़ाइन समिति से अनुमोदित हो जाने के पश्चात्** प्रतिभागियों को उनके प्रस्तावों के त्रि-आयामी मॉडल के साथ आने के लिए कहा जाएगा। हालांकि, मॉडल चरण में प्रवेश का तात्पर्य चयन होना नहीं होगा। विभिन्न विचार-विमर्श के आधार पर **अंतिम चयन** के लिए समिति द्वारा इन मॉडलों की जांच की जाएगी। किसी संगठन की ओर से एक से अधिक झांकी परेड में हिस्सा नहीं लेगी।

विशेषज्ञ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए व्यवस्था करने हेतु संबंधित एजेंसियों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। किसी भी बैठक में अनुपस्थिति का अर्थ है बोली से अलग होना और संबंधित एजेंसी को परिवर्ती बैठकों में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। बैठकों में भाग लेने के लिए सभी तरह की लागत का वहन संबंधित एजेंसी करेगी। **समिति के सदस्यों के साथ सारे वार्तालाप, संबंधित एजेंसी का आधिकारिक प्रतिनिधि करेगा। बोलीकर्ता के संबंधित स्कैच/डिज़ाइन/मॉडल में संशोधन करने के लिए समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए आधिकारिक प्रतिनिधि का साथ कलाकार/डिज़ाइनर दे सकते हैं। यद्यपि, वे विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ तब तक सीधी बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कि किसी निश्चित बिंदु की व्याख्या के लिए उन्हें समिति द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत नहीं किया जाता है।**

3. स्कैच/डिज़ाइन की तैयारी

यह स्कैच/डिज़ाइन 1:1 के पैमाने पर (अधिमानत ग्राफ में) सरल, रंगीन और सुबोध होने चाहिए तथा इसमें सांख्यिकी आंकड़ों और अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। इसमें जो कुछ भी प्रस्तुत किया जा रहा है उसे स्वमेव संप्रेषित करने की क्षमता हो और अन्य स्पष्टीकरण, लेखन या प्रयत्न की

आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। झांकी पर प्रतीक चिन्हों के लेखन या प्रयोग की अनुमति नहीं होगी, सिवाय झांकी में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम के, जिनको झांकी के अग्रभाग पर हिन्दी में और पश्च भाग पर अंग्रेजी में तथा दाईं और बाईं ओर क्षेत्रीय भाषा में लिखने की अनुमति होगी। इसी तरह, मंत्रालयों/विभागों और अन्य एजेंसियों के मामले में मंत्रालय/विभाग/संगठन का नाम अग्रभाग में हिन्दी में तथा पश्च भाग पर अंग्रेजी में दिया जाना चाहिए।

विभिन्न घटकों को आभासी वास्तविकता में अलग-अलग कोणों से दिखाकर सीडी के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. प्रारूपों की तैयारी

अपनी प्रारंभिक बैठकों में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित स्कैच/डिजाइन के अनुमोदन के पश्चात भावी निरीक्षण के लिए समिति द्वारा दिए गए सुझावों की तर्ज पर प्रस्तावित झांकी का त्रि-आयामी प्रारूप तैयार किया जाएगा। समिति द्वारा झांकी के प्रतिरूपों का अंतिम चयन करने के पश्चात ही भागीदारी के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

5. प्रस्ताव तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले बिंदु

(i) एक ट्रैक्टर तथा एक ट्रैलर, जिस पर झांकी सजाई जाएगी, उसे रक्षा मंत्रालय निशुल्क उपलब्ध कराएगा।

(ii) झांकी में प्रयोग करने के लिए कोई अतिरिक्त ट्रेक्टर, ट्रेलर या अन्य किसी तरह के वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले झांकी प्रस्तावों को डिज़ाइन तैयार करते समय इस पहलु को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(iii) झांकी के निर्माण को एक अलग रूप देने के लिए ट्रेक्टर और ट्रेलर के अलावा वाहनों के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु इन वाहनों की व्यवस्था प्रायोजन प्राधिकारियों द्वारा स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में झांकी में प्रयोग के लिए वाहनों की कुल संख्या या झांकी में विशिष्ट मोबाइल संघटकों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) जहां तक संभव हो, झांकी पर कुछ हलचल, ध्वनि और एनीमेशन होना चाहिए।

(v) **ट्रेलर पर कलाकारों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। झांकी के ट्रेक्टर वाले हिस्से पर किसी भी कलाकार को जाने की अनुमति नहीं है। झांकियों में मनोहारी पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या**

पर हांलांकि तभी विचार किया जा सकता है यदि यह विषय से जुड़ी हों। ये शर्तें झांकी की आवश्यकता के आधार पर रक्षा मंत्रालय द्वारा संशोधन के अधीन हैं।

(vi) सांस्कृतिक, ऐतिहासिक/पारंपरिक विषयों पर आधारित झांकी के मामले में स्थानीय परिवेश दर्शाने के लिए प्रयुक्त रंगों, डिज़ाइनों, परिधानों और सामग्रियों इत्यादि को प्रमाणिक होना चाहिए। सांस्कृतिक या पारंपरिक चित्रण के मामले में भी फ्लोट या जमीन पर कला दिखाने वाले कलाकार वास्तविक लगने चाहिए।

(vii) इस स्कैच में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि थीम के अंश के रूप में झांकी को खींचने के लिए ट्रेक्टर का उपयोग किस तरह किया जाएगा। झांकी की मुख्य थीम के साथ ढंके हुए ट्रेक्टर को सुव्यवस्थित होना चाहिए। ट्रेक्टर और ट्रेलर के मध्य तथा/या दो ट्रेलरों के बीच मुड़ने या चलने के लिए 6-7 फुट का अंतर होना चाहिए। झांकी को डिजाइन करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

(viii) यदि, एक झांकी को लोक नृत्य के साथ समाकलित करना प्रस्तावित है तो यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि चयनित नृत्य वास्तविक लोक नृत्य और परिधान तथा संगीत वाद्य यंत्र पारंपरिक और प्रमाणिक हैं। झांकी और नृत्य की भी विषयगत एकता होनी चाहिए। झांकी पर प्रदर्शन कर रहे कलाकारों के अलावा, नृत्य दल की संख्या 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावों के साथ नृत्य की वीडियो क्लिपिंग भेजी जा सकती है।

6. आयाम

स्कैचों और तत्पश्चात त्रि-आयामी मॉडलों को तैयार करते हुए झांकी को सजाने के लिए जिन ट्रेलर और ट्रेक्टरों की आपूर्ति उन्हें की जाएगी उनके निम्नलिखित सदृश आयामों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

ट्रेलर

लंबाई:	**24’ 8”**
चौड़ाई:	**8’**
ऊंचाई:	**4’ 2”**
वजन वहन करने की क्षमता:	**10 टन**

एकल झांकी की लंबाई चौड़ाई और उंचाई क्रमश: 45' , 14' , और 16' (जमीनी स्तर से) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अपनी व्यवस्थाओं के तहत किसी अन्य वाहन का उपयोग प्रस्तावित किया जाता है तो प्रस्ताव में ब्यौरों का तत्संबंधी उल्लेख किया जाना चाहिए।

7. रक्षा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाएं

विशेषज्ञ समिति की बैठकों के दौरान पीसी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेयर और होवरहैड प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं रक्षा मंत्रालय उपलब्ध कराएगा। किसी भी तरह की अन्य अपेक्षित सहायता के लिए मंत्रालय को अग्रिम रूप से सूचित किया जा सकता है।

संलग्नक-III

गणतंत्र दिवस परेड 2015 की झांकी के लिए
आयुष विभाग का विषय
"समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष"

आयुष विभाग

आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का विभाग है जो आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा एवं होम्योपैथी की वृद्धि, विकास और प्रचार के लिए नीति निरूपण, कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

विभाग का उद्देश्य एवं मिशन

विभाग का उद्देश्य है कि स्वस्थ भारत के निर्माण में आयुष चिकित्सा पद्धतियां जीवन का लोकप्रिय अंश बन जाएं। विभाग ने अपने मिशन^ को अपने क्रियाकलापों से संबंधित आठ मुख्य विषयों के रूप में चिन्हित किया है। ये मुख्य विषय निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रभावी मानव संसाधन विकास
(ii) गुणवत्तायुक्त आयुष सेवाओं का प्रावधान
(iii) सूचना, शिक्षा और संचार
(iv) आयुष में गुणवत्तायुक्त अनुसंधान
(v) औषधीय पादप क्षेत्र का संवर्धन
(vi) औषध प्रशासन
(vii) आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं
(viii) आयुष शिक्षा प्रणाली में सुधार

विभाग कई केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के द्वारा अपने मिशन, उद्देश्य एवं नीतिगत लक्ष्यों/प्रयोजनों को प्राप्त करेगा। आयुष विभाग और स्कीमों का ब्यौरा www.indianmedicine.nic.in वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

आयुष चिकित्सा पद्धतियां

प्रस्तावना

आयुष चिकित्सा प्रणालियां भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथी का एक समूह है। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का संक्षिप्त नाम आयुष है। आयुर्वेद का अपना 5000 से भी अधिक वर्षों की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति का दस्तावेजी इतिहास है जबकि होम्योपैथी का प्रचलन पिछले लगभग 200 वर्षों से हुआ है। सभी चिकित्सा प्रणालियों का स्वास्थ्य परिचर्या की ओर समग्र दृष्टिकोण है। सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मूल सिद्धांतों में कुछ समानताएं हैं।

<u>आयुर्वेद</u>

'आयुर्वेद' का शाब्दिक अर्थ "जीवन का विज्ञान" है। आयुर्वेद मुख्य रूप से अथर्ववेद पर विकसित है और विभिन्न वैदिक श्लोकों पर आधारित है। आयुर्वेद के प्राचीन मूल ग्रंथ जो अब उपलब्ध हैं अर्थात् चरक संहिता और सुश्रुत संहिता 2500 ई.पू. के आस-पास विकसित हुए। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य को जीवन के लक्ष्यों अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की पूर्वापेक्षा माना जाता है। आयुर्वेद मनुष्यों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं और इन पहलुओं के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में समेकित अवधारणा पर आधारित है।

आयुर्वेद के मुख्य दर्शन हैं (i) पंचमहाभूतों का सिद्धांत (पंचआदितत्व), (ii) 'त्रिदोष' सिद्धांत (iii) समस्त कायनात और सूक्ष्म ब्रह्मांड आदि का सिद्धांत।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में समग्र उपचार उपलब्ध है तथा यह वैयक्तिक होता है। **आयुर्वेद** के **मुख्य उद्देश्य** हैं स्वास्थ्य का संवर्धन और रोगों का निवारण।

आयुर्वेद का पहला उद्देश्य **स्वास्थ्य का संवर्धन** है। आयुर्वेद के निवारक पहलू को स्वास्थ्यवृत्त कहते हैं, जिसमें नियमित दैनिक कार्य, मौसमी आहार नियम, आहार, व्यायाम, निद्रा, यौन व्यवहार, वैयक्तिक और सामाजिक स्वच्छता, समुचित सामाजिक व्यवहार आदि शामिल हैं। **उपचारात्मक पहलुओं** में तीन प्रमुख श्रेणियां (i) औषधि (ii) पंचकर्म और शल्य चिकित्सा सहित विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाएं तथा (iii) सत्व वज्य (मस्तिष्क नियंत्रण पद्धतियां) सम्मिलित हैं।

संहिता काल (1000 ई.पूर्व) के दौरान, आयुर्वेद की 8 विशेषज्ञता शाखाएं विकसित हुई थीं (1) काय चिकित्सा (आंतरिक चिकित्सा), (2) कौमार भृत्य (बाल रोग चिकित्सा) (3) गृह चिकित्सा (मनोरोग विज्ञान) (4) शालक्य (शिरो-नासा, कर्ण एवं दंत रोग) (5) शल्य तंत्र (शल्य चिकित्सा) (6) अगध तंत्र (विष विज्ञान) (7) रसायन (इम्यूनो मॉड्यूलेशन और जरा चिकित्सा) (8) वाजीकरण (पौरूष शक्ति तथा स्वस्थ वंश विज्ञान)।

आयुर्वेदिक निदान और प्रबंधन में **आधुनिकीकरण** हुआ है। आयुर्वेदिक उत्कृष्ट निदान को पूरा करने के लिए यूएसजी/एससीएएन आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों और नैदानिक सहायकों के साथ जैव रासायनिक मापदंडों का प्रयोग किया जाता है।

आयुर्वेदिक औषधें मुख्य रूप से विभिन्न औषधीय पादपों से बनाई जाती हैं। तथापि, आयुर्वेद में कुछ खनिजों, धातुओं और पशु मूल के तत्वों का भी प्रयोग किया जाता है। दवा का पारंपरिक रूप है - पाउडर, गोली, लेहया, काढ़ा, अस्व/अरिष्ट (स्व-उत्पन्न मद्यसार के साथ काढ़ा), तेल, घी आदि। रस शास्त्र आयुर्वेद का एक विषय है जिसनें खनिजों और धातुओं के प्रयोग से आयुर्वेदिक औषध विकास में योगदान दिया है। रस का अर्थ है पारा। आयुर्वेद के इस विषय के अंतर्गत पारा इस प्रकार संसाधित किया जाता है कि उसके विषैले प्रभाव मिटा कर मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। *पोतली, कुपिपक्वा रसायन* आयुर्वेदिक रसशास्त्र के अनोखे दवा के रूप हैं जो कई गम्भीर रोगों में तत्काल आराम पहुंचाती हैं। ये पारा, सल्फर, सोना, चांदी आदि से निर्मित की जाती हैं।

हाल के समय में आयुर्वेदिक भेषजकी में बहुत अनुसंधान हुआ है जिससे आयुर्वेदिक औषध उद्योग का आधुनिकीकरण और खुराक के नए रूप जैसे - गोलियां, कैपसूल, लोशन, क्रीम, प्रसाधन सामग्री आदि विकसित हुए हैं। उद्योगों की अपनी अंतर्गृह अनुसंधान और विकास तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। अधिकतर उद्योगों ने अपनी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाई हैं और आयुर्वेद उत्पादों को अमेरिका, यूरोप, एशियाई देशों आदि को निर्यात करते हैं।

भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग एएसयू एवं हो. औषधों के गुणवत्ता मानकों का विकास करते हैं।

<u>योग</u>

'योग' शब्द का शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क की चरम स्थिति से एकात्म। हालांकि योगाभ्यास मानव सभ्यता जितना प्राचीन है, इसकी झलक कई प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक और दर्शनशास्त्र साहित्यों में मिलती है। 'योगसूत्र' ग्रंथ जिसमें 195 सूत्र हैं, के रचयिता लगभग 200 ई.पू. में रहने वाले

पतंजलि को योग का प्रमुख प्रवर्तक माना गया है। उन्होंने यम (आत्म-नियंत्रण), नियम (पालन), आसन (मनो-शारीरिक मुद्रा), प्राणायाम (श्वास नियंत्रण), प्रत्याहार (इंद्रीय नियंत्रण), धारणा (ध्यान केंद्रण), ध्यान (चिंतन), समाधि (समाहरण अथवा मुक्ति की स्थिति) वाले अष्टांग योग का समर्थन किया। चूंकि योग शरीर - मस्तिष्क व्यायाम का सम्मिलन है, इससे मानिसिक शक्ति और आत्म नियंत्रण में वृद्धि के साथ शरीर की ताकत और प्रतिरक्षा में संवर्धन होता है। नियंत्रित जीवन शैली भी योग का अनिवार्य अंश है। इसलिए रोगों के निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन (विशेष रूप से षटकर्म नामक छः तकनीकों, आसन नामक विशेष व्यायाम, प्राणायाम नामक विशेष श्वसन व्यायाम, आसन और प्राणायाम का संयोजन, मुद्रा और ध्यान) के लिए स्वस्थ व्यक्ति हेतु योग के लाभ उपयोगी हैं। यौगिक क्रियाएं विभिन्न मनोविकारों और जीवन शैली से जुड़े गैर-संक्रामक रोगों के उपचार में बहुत उपयोगी हैं। योग का महत्वपूर्ण लाभ है कि यह औषधरहित है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य चिकित्सा पद्धतियों के उपचार के साथ किया जा सकता है। आयुष विभाग ने योग के संवर्धन और प्रसार के लिए कई उपाय किए हैं। जबकि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली, विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों में संलग्न है, केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली अनुसंधान गतिविधियों के संचालन और समन्वय में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, कई संस्थान, विश्वविद्यालय आदि योग में डिग्री, डिप्लोमा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

<u>प्राकृतिक चिकित्सा</u>

प्राकृतिक विज्ञान उपचार की एक ऐसी पद्धति है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रकृति के सकारात्मक सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाकर रहने का समर्थन किया जाता है। यह अधिकतर औषधरहित होती है और कभी-कभी प्राकृतिक तत्व जैसे मिट्टी, पानी आदि का प्रयोग किया जाता है अथवा आहार संबंधी सलाह दी जाती है। भारत में, वेद और अन्य साहित्यों में प्राकृतिक चिकित्सा की काफी झलक दिखाई देती है जिसे अन्य देशों के ज्ञान से और विकसित किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा उपचार का मुख्य उद्देश्य शरीर से विषाक्त अथवा दूषित पदार्थों को निकालना, स्व-उपचार की प्रक्रिया को बढ़ाना, जीवन-शक्ति और मानसिक नियंत्रण में वृद्धि करना है। आजकल विभिन्न रोगों के निवारण और उपचार के लिए उपवास चिकित्सा, आहार चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, वायु चिकित्सा आदि अपनाई जाती हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बहुत बार एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। कई संस्थानों, विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त आयुष विभाग, भारत सरकार भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का संवर्धन कर रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कर रहा है और केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान

परिषद, नई दिल्ली प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान गतिविधियां संचालित और इनका समन्वय कर रहा है।

<u>यूनानी</u>

यूनानी चिकित्सा पद्धति एक व्यापक चिकित्सा पद्धति है जो स्वास्थ्य और रोग के विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित है। इसका मूलभूत ढांचा गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह पद्धति चार तत्वों वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी और 4 मिज़ाज सिद्धांतों - रक्त, बलगम, पीले पित्त और काले पित्त पर आधारित है। स्वास्थ्य के लिए इन मिज़ाजों का यथोचित संतुलन जिम्मेदार है। शरीर में मिज़ाज के संतुलन में कोई गड़बड़ी रोग पैदा करती है। इस पद्धति में मिज़ाज को आशावादी, बलगमी, पित्त प्रकृति और निराशावादी के रूप में बताया गया है।

यह पद्धति प्राकृतिक रूप से समग्र है और निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करता है। रोग का निदान और उपचार रोगी के शारीरिक गठन को ध्यान में रखकर किया जाता है। यूनानी चिकित्सा में निदान के लिए विशेष मानदण्ड हैं मिज़ाज और नाड़ी, मूत्र और मल परीक्षण। यूनानी चिकित्सा में औषध तीन स्रोतों से प्राप्त होती है, मुख्य रूप से जड़ी-बूटीयों, खनिज और पशुमूलक। इलाज-बिद-तदबीर (रेजीमन चिकित्सा) यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपचार की एक और प्रक्रिया है विशेष रूप से जीर्ण और उपजनन रोगों के लिए। हिजमाह (कपिंग उपचार) विभिन्न जीर्ण रोगों और एनसीडी आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध उपचार है।

यूनानी में उद्भूत होने और अरब और फारस में विकसित होने के बाद यूनानी चिकित्सा पद्धति स्थाई रूप से निवास करने और अपने वैज्ञानिक विकास को चरम सीमा पर देखने के लिए हज़ार वर्ष पूर्व भारत में आई। सदियों से यह पद्धति भारतीय सभ्यता में इतने बेहतर रूप से आत्मसात हुई है कि आज यह भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। सरकार इसके चौमुखी विकास के लिए अधिक निधियां और समर्थन प्रदान कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप आज देश में यूनानी चिकित्सा के शैक्षणिक, अनुसंधान, स्वास्थ्य परिचर्या और भेषजकीय संस्थानों का व्यापक नेटवर्क है और इस क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी होने का स्थान प्राप्त है।

सिद्ध

सिद्ध चिकित्सा पद्धति मनुष्य के निवारक, उपचारात्मक और स्वस्थ जीवन के लिए प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यह मुक्कुतरम अर्थात वली (वथम), अज़हल (पीथम) और इयम (कबम) पर आधारित है। सिद्ध चिकित्सा का सिद्धांत है 'खाद्य ही औषधि है और औषधि ही खाद्य है'। सिद्ध पद्धति के अनुसार व्यक्तियों को खाने के पूर्ण पाचन के बाद ही खाने का उपभोग करना चाहिए और भरे पेट में खाना नहीं लेना चाहिए। सही पाचन के लिए एक चौथाई पेट खाली होना चाहिए।

वरमम (दबाव परिचालन उपचार) सिद्ध चिकित्सा पद्धति में विशेष प्रकार का उपचार है। उंगली के दबाव द्वारा विशेष बिन्दु को प्रभावित किया जाता है और दर्द समाप्त हो जाने से रुकी हुई शारीरिक क्रिया सक्रिय हो जाती है। थोकनम एक और उपचार है जिसमें सूजन और दर्द के क्षेत्र पर तेल लगाकर मालिश की जाती है ताकि तंत्रिका-मांसपेशीय और मांसपेशीय-कंकालीय दर्द और सूजन समाप्त हो जाए।

सिद्ध शब्द से अभिप्रेत है उपलब्धि और सिद्ध वे लोग होते है जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवीणता प्राप्त की हुई है। बताया जाता है कि इस चिकित्सा पद्धति के व्यवस्थित विकास में 18 सिद्धों ने अपना योगदान दिया और तमिल भाषा में अपने अनुभवों को दर्ज किया।

कायकल्पम व्यक्ति को हमेशा जवान तथा ओजस्वी और दीर्घायु रखने के लिए एक विशेष औषधि है जिसमें शहद के साथ अदरक जैसी जड़ी-बूटी को लिया जाता है। मनुष्यों को सदैव स्वस्थ और फुर्तीला रखने के लिए कायकल्पम में सिद्धों द्वारा उल्लिखित सामान्य कल्पम, विशेष कल्पम और मुगई थाथू जीव कल्पम जैसे कई प्रकार हैं।

सोवा-रिग्पा

सोवा-रिग्पा भारतीय चिकित्सा की एक और पद्धति है जिसका भारत के हिमालयी राज्यों में अभ्यास किया जाता है। इस पद्धति का प्राचीन समय में मुख्य रूप से बुद्ध मठवासियों द्वारा अभ्यास किया जाता था और हिमालयी राज्यों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता था। यह पद्धति मुख्य रूप से आयुर्वेद से उद्भूत हुई है और प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ 'अष्टांग हृदय' पर आधारित है। तथापि, इसमें हिमालयी उच्च स्थान के औषधीय पादपों के उपयोग द्वारा पद्धति को और विकसित किया है। इस पर चीनी चिकित्सा का भी प्रभाव है। सोवा-रिग्पा जीर्ण रोगों, यथा दमा, ब्रोंकाइटिस, ऑर्थराइटिस आदि के उपचार में असरदार है। सोवा-रिग्पा के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना (i) उपचार के बिंदु पथ के रूप में मन

और शरीर (ii) प्रतिकारक अर्थात् उपचार (iii) प्रतिकारक के द्वारा उपचार पद्धति (iv) रोगों का उपचार करने वाली औषधियों और अंतत: (v) भेषज गुण विज्ञान के रूप में की गई है। सोवा-रिग्पा चिकित्सा पद्धति में मानव शरीर की रचना में पंच महाभूत तत्वों, विकारों की प्रकृति और उपचारात्मक उपायों के महत्व पर जोर दिया गया है।

होम्योपैथी

बुकरात के समय (लगभग 400 ई.पू.) से लेकर अब तक के चिकित्सकों ने यह महसूस किया है कि कुछ पदार्थ स्वस्थ लोगों में रोग के वही लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, जिस रोग से दूसरे लोग पीड़ित हैं। जर्मन चिकित्सक, डा. क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हनीमैन ने इस तथ्य की वैज्ञानिक रूप से जांच की और होम्योपैथी के आधारभूत सिद्धांतों को कूटबद्ध किया। भारत में होम्योपैथी को यूरोपीय मिशनरियां 1810 ई. के आसपास लाईं और 1948 में संविधान सभा द्वारा और तदनुपरांत संसद द्वारा पारित एक संकल्प द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई।

होम्योपैथी के पहले सिद्धांत 'सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर' के अनुसार जो औषधि किसी स्वस्थ व्यक्ति में जो लक्षण उत्पन्न करती है, वही औषधि उस रोग विशेष से वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करने में भी समर्थ है। इसके दूसरे सिद्धांत 'सिंगल मेडीसिन' में कहा गया है कि किसी रोगी विशेष का उपचार किए जाने के दौरान उसे एक समय में एक ही दवा दी जानी चाहिए। इसका तीसरा सिद्धांत 'मिनिमम डोज' या न्यूनतम दवा की मात्रा में बताया गया है कि किसी औषध की न्यूनतम खुराक, जिससे किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना उपचारात्मक क्रिया शुरू हो जाती है, दी जानी चाहिए। होम्योपैथी इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी रोग की उत्पत्ति मुख्यत: बाह्य कारकों, यथा बैक्टीरिया और विषाणुओं आदि की क्रिया के अलावा किसी व्यक्ति के किसी रोग विशेष से शीघ्र प्रभावित अथवा पीड़ित होने संबंधी अभिवृत्ति पर निर्भर करती है।

होम्योपैथी ऐसी औषधियां खिलाकर रोगों के उपचार का एक तरीका है, जो प्रयोगों के आधार पर स्वस्थ मानवों पर इसी प्रकार के लक्षण पैदा करने की शक्ति सिद्ध कर चुकी हैं। होम्योपैथी में उपचार, जो समग्र प्रकृति का होता है, रोगी के एक विशिष्ट पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया पर केंद्रित होता है और उपचार करते समय व्यक्ति के पूर्णरूप - उसकी मानसिक प्रकृति और व्यक्तिगत स्थिति पर विचार करता है। यह केवल रोग के लक्षणों को हटाने पर ही केंद्रित नहीं होता परन्तु रोगी के पूर्ण स्वास्थ्य पर केंद्रित है। होम्योपैथिक औषधियां मुख्यत: पादप, खनिज और पशु मूलक, नोसोडेस एवं सार्कोडेस आदि

प्राकृतिक पदार्थों से तैयार की जाती हैं। होम्योपैथिक औषधियों का कोई विषाक्त दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके अलावा, होम्योपैथिक उपचार किफायती होता है और यह उपचार अनेक लोगों को स्वीकार्य है।

होम्योपैथी की उपचारात्मक क्षमता के अपने कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं और यह एलर्जी, स्व:रोग प्रतिरोधक विकार और विषाणु संक्रमणों के उपचार के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। शल्य चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति संबंधी अनेकों समस्याओं और बाल रोग, नेत्र, नाक, कान, दांत, त्वचा, यौन अंगों आदि को प्रभावित करने वाले रोगों का होम्योपैथी उपचार के द्वारा कामयाब इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में व्यवहारगत विकारों, तन्तु तंत्रिका संबंधी समस्याओं और चयापचयी व्याधियों का प्रभावी समाधान उपलब्ध है। उपचारात्मक पहलुओं के अलावा होम्योपैथिक औषधियों का उपयोग निवारक और संवर्धनात्मक स्वास्थ्य परिचर्या में भी किया जाता है। हाल ही में पशुओं के उपचार, कृषि सम्बन्धी समस्याओं और दंत रोगों आदि में होम्योपैथिक औषधियों के उपयोग के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। होम्योपैथिक दवाएं आमतौर पर सफेद गोलिकाओं के माध्यम से दी जाती हैं। केश टॉनिक - अर्निका केश तेल और एक सामान्य टॉनिक अल्फाल्फा टॉनिक - कुछ ऐसी औषधियां हैं जो होम्योपैथी में बहुत उपयोगी हैं।

<u>औषधीय पादप</u>

भारतीय चिकित्सा पद्धतियां विभिन्न कच्ची सामग्री का उपयोग करती हैं और उसमें 90% औषधीय पादप होते हैं। बताया जाता है कि आयुष पद्धतियों में लगभग 3000 पादप प्रजातियों का उपयोग होता है। वास्तविक कच्ची औषधों की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के आयुष विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) की स्थापना की है।

अपने 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 16 वन्य किस्मों के साथ भारत में विश्व की 7% जैव-विविधताएं मौजूद हैं, जिनके कारण इसकी गणना विश्व के 17 बड़े जैव-विविधता संपन्न देशों में होती है। अनुमान है कि लगभग 6000 - 7000 औषधीय पादपों का आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसी लोक और प्रलेखित चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय उपयोग होता है। औषधीय पादपों की लगभग 960 प्रजातियों का व्यापार में उपयोग किया जाता है, जिनमें से 178 ऐसी हैं जिनका बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है इनकी मात्रा प्रतिवर्ष 100 मीट्रिक टन से भी अधिक हो जाती है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) जिनको प्रोत्साहित करता है, वे हैं क) औषधीय पादपों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन, ख) औषधीय पादपों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन,

ग) कृषि - तकनीकों इत्यादि का विकास। एनएमपीबी का विवरण उनकी वेबसाइट htpp://nmpb.nic.in/ पर देखा जा सकता है।

<u>समग्र स्वास्थ्य</u>

स्वास्थ्य परिचर्या के प्रति समग्र दृष्टिकोण का अर्थ है कि निदान और उपचार की प्रक्रिया में शरीर और मस्तिष्क एवं आत्मा को एक इकाई माना जाता है। निदान प्रक्रिया में सभी पद्धतियों, उत्तकों/अंगों इत्यादि और आहार, पर्यावरण, दैनिक जीवनशैली, परिवार का इतिहास आदि जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार उपचार करते समय इन पहलुओं और व्यक्ति की सहनशक्ति, शारीरिक क्षमता, समय सीमा इत्यादि पर विचार किया जाता है।

इष्टतम स्वास्थ्य और आरोग्यता की खोज में समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण पूरे व्यक्ति - शरीर, मस्तिष्क, भावना और मनोभावों पर विचार करता है। कोई व्यक्ति जीवन में उपयुक्त संतुलन बनाकर ही इष्टतम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है, जो आयुष पद्धति का प्रारंभिक लक्ष्य है। व्यक्ति के विभिन्न अंग होते हैं और यदि एक अंग ठीक ढंग से कार्य न करे तो दूसरे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। परिणाम यह होता है कि शारीरिक, मानसिक अथवा अतींद्रिय संघटक में से किसी में भी असंतुलन होने पर समग्र स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आयुष पद्धति के समग्र दृष्टिकोण से यह समझा जाता है कि रोगी व्यक्ति होता है, न कि कोई व्याधि; और उपचार में शामिल होता है रोग दशा का कारण निश्चित करना, न कि केवल रोग लक्षणों को कम करना।

ऊपर वर्णित सिद्धांतों और समग्र दृष्टिकोण वाली आयुष पद्धतियां समाज को समग्र स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम हैं।

संलग्नक-IV

आयुष विभाग

गणतंत्र दिवस परेड 2015 के दौरान "समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष" स्कीम विषय पर आयुष विभाग की झांकी की संकल्पना, डिज़ाइन, निर्माण और प्रदर्शन के लिए तकनीकी निविदा

1. अभिकरण/संगठन का नाम:
2. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम तथा उसका संपर्क ब्यौरा:
3. पूर्ण आधिकारिक पता (दूरभाष/मोबाइल और ई-मेल सहित):
4. राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर गंणतंत्र दिवस की झांकी की संकल्पना, डिज़ाइन, निर्माण और प्रदर्शन के क्षेत्र में अनुभव, यदि कोई हो (वर्ष, संगठन और विषय का ब्यौरा देते हुए) (दावे के समर्थन में संगत दस्तावेज, कार्य आदेश, कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र संलग्न करें):
5. अन्य मुख्य समारोहों में झांकी के निर्माण और प्रदर्शन में अनुभव, यदि कोई हो (वर्ष, संगठन और विषय का ब्यौरा देते हुए - दावे के समर्थन में संगत दस्तावेज संलग्न करें:
6. पूर्व में किए गए कार्य की फोटोग्राफ/सीडी:
7. जीते गए पुरस्कार/पदक/पारितोष (प्रमाण पत्र की प्रतियों सहित ब्यौरे के साथ):
8. सनदी लेखाकार से प्रमाणित प्रतियां जिसमें पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए अभिकरण का कारोबार दर्शाया गया हो:
9. अद्यतन पैन नम्बर का विवरण (फोटो प्रति संलग्न करें):
10. इएमडी के ब्यौरे जैसे डीडी संख्या, जारी करने वाले बैंक का नाम, तारीख आदि प्रस्तुत करें:
11. कृपया निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:

11.1 स्कैच/डिज़ाइन सहित संकल्पना प्रस्ताव कि आप स्कीम 'समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष' को कैसे प्रदर्शित करेंगे।

11.2 'समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष' स्कीम पर आपकी जानकारी के संबंध में संक्षिप्त नोट।

दिनांक : **मालिक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर**

संलग्नक-V

वित्तीय बोली

लाख से मुहर बंद एक अलग लिफाफे में और उस मुहर के ऊपर दो आध्यक्षरों सहित प्रस्तुत किया जाना है।

क्र.सं.	**निविदा अधिसूचना**	**लागत (रूपए में)**
1.	संकल्पना की लागत और 2डी स्कैच/डिज़ाइन और चित्रकारी इत्यादि की तैयारी (प्रथम चरण कार्य)	
2.	3डी प्रारूप की तैयारी की लागत (भौतिक प्रारूप और 3डी के माध्यम से चलना) (द्वितीय चरण कार्य)-रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रथम चरण के निर्माण कार्य के अनुमोदन पर आधारित	
3.	झांकी का निर्माण और स्थापन, गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन और इसी तरह के अन्य संबंधित कार्य जिसमें झांकी का विघटन और रक्षा मंत्रालय को ट्रेक्टर ट्रेलर सौंपना शामिल है;	
4.	बचाव शुल्क घटाएं	
5.	**कुल = 1+2+3 - 4**	

5. कुल लागत* (उपरोक्त 5 के अनुसार)

6. कंपनी का नाम

7. मालिक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

दिनांक : **मालिक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर**

*टिप्पणी: (i) क्रम सं. 5 पर विनिर्दिष्ट कुल लागत (लागतों) में <u>लागू सेवा करों को छोड़कर</u>, सभी करों/शुल्कों/वसूलियों और इसी तरह के किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले प्रभार शामिल हैं। (ii) पैरा 10.3 के अनुसरण में वित्तीय बोली में प्राप्त अंकों की गणना के उद्देश्य के लिए उपरोक्त क्रम सं. 5 पर वर्णित कुल लागत को शामिल किया जाएगा।